अति आवश्यक

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।

कमांकःनिस / निदेशक(जन स्वास्थ्य) / 2011 / 153

दिनांकः 11–07–2011

आदेश

राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ के आह्वान पर राज्य के सेवारत चिकित्सकों द्वारा दिनांक 12–07–2011 एंव 13–07–2011 को सामूहिक आकस्मिक अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये है। चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाये अत्यावश्यक सेवाओं की श्रेणी में आती है तथा चिकित्सकों के सामूहिक अवकाश पर रहने से आमजन को अत्यन्त असुविधाओं का सामना करना पड सकता है। राज्य सरकार का दायित्व है कि राज्य में आमजन को मिल रही स्वास्थ्य सेवायें प्रभावित नही हों, ऐसी परिस्थितियों में निर्णय लिया गया है कि किसी भी चिकित्सक को किसी प्रकार का कोई अवकाश स्वीकृत नही किया जावें। जिन चिकित्सकों ने सामूहिक आकस्मिक अवकाश के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये है, उनका अवकाश तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

उक्त निर्देशों के बावजूद भी अगर कोई चिकित्सक किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग करता है, तो उसे सेवा में व्यवधान मानते हुये, उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ की जावेंगी।

कृपया उक्त निर्देशों की कडाई से पालना सुनिश्चित की जावें।

11/7/11
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1– प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2– निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3– निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4– मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5– प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6– प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7– समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
8– समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
9– प्रधानाचार्य एंव नियंत्रक, समस्त मेडिकल कालेज, राजस्थान।
10– समस्त सयुंक्त निदेशक, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
11– समस्त मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
12– समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।

11/7/11
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।